

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2018-पार्ट-02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या - 981/2022 चेताराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ-6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	<b>SATYA NARAYAN SINGH RAJAPUT</b>	GOVT. PRIMARY SCHOOL JHANPA UPLA (483940)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMARPURA (466497)(08290514701)	CHITTORGARH
2	<b>SURESH CHAND MAHAWAR</b>	GOVT. PRIMARY SCHOOL LIMBAKHEDA (469817)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHATI RAMNAGAR (407960)(08290418902)	BHAINROADGARH

### Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 1 of 3

RajKaj Ref No. : 4868845



3	<b>KISHAN LAL SUMAN</b>	GOVT. PRIMARY SCHOOL ANGARI FALA (481544)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Sanskrit	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JODHPURIYA (500400)(08290324401)	BEGUN
4	<b>SANJAY KUMAR PORWAL</b>	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAMBORI (412561)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANDAWALI (506115)(08291008601)	NIMBAHERA
5	<b>PRABHU LAL MALI</b>	GOVT. PRIMARY SCHOOL AMBA FALA (481418)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AANJAN KHEDA (465768)(08290707401)	BHOPAL SAGAR
6	<b>RAM NIVAS GURJAR</b>	GOVT. PRIMARY SCHOOL LEHNA (504778)	DUNGARPUR	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHOKHARIYA KHERI (505013)(08290900602)	BHADESAR
7	<b>GHANSHYAM SWARNKAR</b>	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHIKRIYA KHERI (408210)	CHITTORGARH	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SOMPUR B (487194)(08291202207)	BADI SADRI
8	<b>VICHITRA TIWARI</b>	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUNDAL GANAWA (502021)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PARLIYA (484660)(08290903001)	BHADESAR
9	<b>JITENDRA SINGH RANAWAT</b>	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAMBORI (412561)	PRATAPGARH	Teacher Level-1	---	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LUHARIYA (505384)(08291213101)	BADI SADRI

**Signature valid**

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 2 of 3

RajKaj Ref No. : 4868845



शर्तें :-

1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा )

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय

माध्यमिक चित्तौड़गढ़

दिनांक:- 07-10-2023

क्रमांक: जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/जुंजरपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
10. संबंधित कार्मिक .....।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय

माध्यमिक चित्तौड़गढ़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 3 of 3

RajKaj Ref No. : 4868845



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2018-पार्ट-02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या - 981/2022 चेताराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ-6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	BHAGYASH REE PUROHIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISINGHPURA (224387)	CHITTORGAR H	Teacher Level-2	English	Teacher Level-2	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARDANA (224320)(08290911101)	BHADESAR

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer  
Date: 2023.10.07 20:17:44 IST  
Reason: Approved  
Page 1 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845



शर्त :-

1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इतर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा )

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांक: जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/डूंगरपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
10. संबंधित कार्मिक .....
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौड़गढ़

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2018-पार्ट-02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या - 981/2022 चेताराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ-6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौड़गढ़ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	<b>MANISHA AMETA</b>	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAMBORI (412561)	PRATAPGARH	Prabodhak Level-2	Hindi	Senior Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBAHERA (224371)(08291017203)	NIMBAHERA
2	<b>RAM NIVAS MEENA</b>	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SURAJPURA (502120)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHAMTI KHERA (442956)(08290525103)	CHITTORGARH
3	<b>MUKESH KUMAR SAINI</b>	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MAHUDIKHEDA (474738)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Senior Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADOLIGHATA (224342)(08291005604)	NIMBAHERA
4	<b>SATISH KUMAR SHARMA</b>	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANKARA (475833)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NO. 1 (483175)(08291218401)	BADI SADRI
5	<b>SHAMBHU DAS VAISHNAV</b>	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SEVANAGAR (472428)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Hindi	Senior Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAMANCHA (224099)(08290314601)	BEGUN
6	<b>CHHOGA LAL GADRI</b>	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GUNDALPUR (410645)	CHITTORGARH	Teacher Level-2	Hindi	Teacher Level-2	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUNDALIYA (484707)(08290423101)	BHAINROADGARH

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma

Designation: District Education Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 1 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845



शर्तें :-

1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा )

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांक: जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/डूंगरपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
10. संबंधित कार्मिक .....
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer  
Date: 2023.10.07 20:17:44 IST  
Reason: Approved  
Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

—: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2018-पार्ट-02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या - 981/2022 चेताराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ-6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	CHAMPA LAL DHAKEER	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KITKHEDA (482953)	CHITTORGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ANANDO KA KHEDA (410609)(08291203101)	BADI SADRI
2	MAHAVEER MEENA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL VELVI (474744)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	General	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHATARPURA NARELA (404793)(08290520502)	CHITTORGARH
3	MUKESH KUMAR RAIGAR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LALPURA (487076)	CHITTORGARH	Teacher Level-2	Sanskrit	Senior Teacher	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TALAU (466535)(08290805001)	DUNGLA

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 1 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845





शर्त :-

1. इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवण्टित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
2. किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।
4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा )

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

दिनांक:- 07-10- 2023

क्रमांक: जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/झुंजारपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
10. संबंधित कार्मिक .....
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक चित्तौडगढ

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 02.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/संस्था/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2018-पार्ट-02604 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 के दिशानिर्देशानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या - 981/2022 चेताराम मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित समेकित आदेश दिनांक 02.02.2023 के क्रम में एवं कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी परिपत्रों की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के अध्यापकों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में समायोजन के क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/टीएसपी एरिया/2020/ दिनांक 30.07.2023 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्राशि/संस्था/एफ-6/स्थाना./राज्यादेश/टीएसपी-नॉनटीएसपी/2023 दिनांक 30.07.2023 द्वारा समायोजन हेतु चित्तौडगढ जिला आवंटित किया गया।

इस समायोजन प्रक्रिया के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों का प्राप्त दिशानिर्देशानुसार In-Person Counselling के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। कार्मिक आगामी कार्यदिवस को अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र	नाम अभ्यर्थी	पूर्व पदस्थापन स्थान	जिला	मूल पद	विषय	पदस्थापित पद	विषय	नवीन पदस्थापन	ब्लॉक
1	RAMESH CHANDRA CHOUDHARY	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAYAGHAR (504388)	PRATAPGARH	Teacher Level-2	Social Studies	Senior Teacher	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ANANDO KA KHEDA (410609)(08291203101)	BADI SADRI

शर्तें :-

- इन कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु आवंटित किया गया है, इनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) में ही कार्यग्रहण कराया जाए।
- किसी कार्मिक का पूर्व पदस्थापन स्थान जिला आवंटन सूची में अंकित पदस्थापन स्थान से भिन्न होने की स्थिति में कार्मिक का मूल पद संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति में ही यह आदेश मान्य होगा, इससे इत्तर स्थिति में यह आदेश कार्मिक के जिला आवंटन की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।
- विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है एवं वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144-क के तहत शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ऐसे कार्मिकों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा उनके प्रतिनियुक्ति से विभाग में लौटने पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन नियमानुसार किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer  
Date: 2023.10.07 20:17:44 IST  
Reason: Approved  
Page 1 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845



4. उपर्युक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित/किसी अन्य न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो, ऐसे कार्मिकों पर उपर्युक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे।
5. कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(कल्पना शर्मा )

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

दिनांक:- 07-10-2023

**क्रमांक: जिशिअचि-माध्य/संस्था./टीएसपी-नॉनटीएसपी समायोजन/2023/**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6 निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़/उदयपुर/बांसवाड़ा/झुंजरपुर।
- 8 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कार्मिक .....।
- 11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय  
माध्यमिक चित्तौड़गढ़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Sharma  
Designation: District Education  
Officer

Date: 2023.10.07 20:17:44 IST

Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 4868845

